सत्यमेव जयते
Web Copy :- Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 201/2018 दायर दिनॉक 18.06.2018

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. छोटीदेवी पत्नी मोमाराम, उम्र–82साल, 2. रामरतन पुत्र रामेश्वरलाल, उम्र–19साल, समस्त,जाति–मेघवाल, निवासी–कटारियावास, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1.धन्नाराम पुत्र कानाराम, जाति–मेघवंशी, निवासी–निनावटा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2.गोरधन पुत्र शिवराम, समस्त,जाति–परबतसर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 3.तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनॉक 30.06.2018

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, शरहद अमरपुरा के खेत खसरा नम्बर 104 रकबा 02.18 बीघा, खसरा नम्बर 105 रकबा 06.14 बीघा, खसरा नम्बर 111 रकबा 11.12 बीघा व खसरा नम्बर 112 रकवा 0.07 बीघा अवस्थित है।

प्रार्थी वादी है कि,

शरहद अमरपुरा के खेत खसरा नम्बर 104 रकबा 02.18 बीघा में से रकवा 0.06 बीघा तथा खसरा नम्बर 105 रकबा 06.14 बीघा में से रकबा 0.14 बीघा तथा खसरा नम्बर 111 रकबा 11.12 बीघा में से रकवा 01.04 बीघा तथा खसरा नम्बर 112 रकबा 0.07 बीघा में से रकबा 0.01 बीघा कुल रकवा 02.05 बीघा भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे। वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण कि विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 को जरिये सम्मन वास्ते जवाब देही न्यायालय में तलब किया गया।

वादीगण ने वाद के समर्थन शपथ–पथ, जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 ग्राम अमरपुरा खेवट संख्या 198 / 173, 197 / 172 व 199 / 174 प्रमाणित प्रतिलिपियाँ, रामेश्वरलाल की मृत्यु दिनाँक 16.10.2001 व श्रवणराम मेघवाल की मृत्यु दिनाँक 04.05.2005 के प्रमाण–पत्रों की छायाप्रतियाँ पेश की है।

न्यायं आपके द्वार, 2018 : राजस्व लोक अदालत, फोलोअप कैम्प–डीडवाना में पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान् उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 03 ने वाद डिक्री में अपनी अनापत्ति होना जाहिर किया। पक्षकारान् दावा डिक्री करने हेतु इस्तदुआ कर रहे हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण ने वाद में राजीनामा पेश किया। राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढकर सुनाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना पक्षकारान् द्वारा स्वीकार किया गया। वादीगण की पहचान वकील श्री अजीतसिंह राठौड़ ने की व प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री वी.पी.सिंह ने की है। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।

पक्षकारान् राजीनामा की इस्तदुआ पर मनन् किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वाद का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। पक्षकारान् ने राजीनामा पेश कर दिया है। ऐसी स्थिति में, वादग्रस्त मुतनाजा शरहद अमरपुरा के खेत खसरा नम्बर 104 रकबा 02.18 बीघा में से रकबा 0.06 बीघा व खसरा नम्बर 105 रकबा 06.14 बीघा में से रकबा 0.14 बीघा व खसरा नम्बर 111 रकवा 11.12 बीघा में से रकबा 01.04 बीघा व खसरा नम्बर 112 रकबा 0.07 बीघा में से रकबा 0.01 बीघा की खातेदारी वादीगण के हक में की जाना अज अदालत को, वादवर्णित साक्ष्यों / सबूतों पर करने बाद विचार जायज लगता है।

अतः, बाद विवेचन, वादी का वाद, डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 201/2018
दायर दिनाँक 18.06.2018, निर्णय दिनाँक 30.07.2018
छोटीदेवी, वगैरा बनाम् धनाराम, वगैरा।

आदेश

हस्व दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर, शरहद अमरपुरा के वादग्रस्त/वादवर्णित निम्न खसरान् का बन्टवारा, "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, निम्नलिखितानुसार, खातेदारी घोषित की जाती है:–

1. **खसरा नम्बर 104 रकबा 02.18 बीघा में से,** रकबा **0.06** बीघा का वादीगण को व रकबा **02.12** बीघा का प्रतिवादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. **खसरा नम्बर 105 रकबा 06.14 बीघा में से,** रकबा **0.14** बीघा का वादीगण को व रकबा **03.09** बीघा का प्रतिवादी संख्या 01 को तथा रकबा **02.11** बीघा दक्षिणी भाग का प्रतिवादी संख्या 02 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. **खसरा नम्बर 111 रकबा 11.12 बीघा में से,** रकबा **01.04** बीघा का वादीगण को व रकबा **03.12** बीघा का प्रतिवादी संख्या 01 को व रकबा **06.16** बीघा दक्षिणी भाग का प्रतिवादी संख्या 02 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. **खसरा नम्बर 112 रकबा 0.07 बीघा में से,** रकबा **0.01** बीघा का वादीगण को व रकबा **0.06** बीघा का प्रतिवादी संख्या 02 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
5. उपर्युक्त खसरान् की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में रामेश्वर व श्रवण पिसरान् भोमा का नाम उक्त रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।

पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वे एक–दूसरे की खातेदारी व कब्जाकाश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न तो स्वयं करे व न ही किसी अन्य से करावें। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना
कोर्ट फोलोअप कैम्प–डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **30.06.2018** को सरे कोर्ट फोलोअप कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना
कोर्ट फोलोअप कैम्प–डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **201/2018** दायर दिनाँक **18.06..2018**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. छोटीदेवी पत्नी भोमाराम, उम्र–82साल, 2. रामरतन पुत्र रामेश्वरलाल, उम्र–19साल, समस्त,जाति–मेघवाल, निवासी–कटारियाबास, डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1.धन्नाराम पुत्र कानाराम, जाति–मेघवंशी, निवासी–निनावटा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2.गोरधन पुत्र शिवराम, समस्त,जाति–परबतसर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 3.तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act.

दिनाँक **30.06.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

हस्व दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर, शरहद अमरपुरा के वादग्रस्त/वादवर्णित निम्न खसरान् का बन्टवारा, "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, निम्नलिखितानुसार, खातेदारी घोषित की जाती हैः–

1. **खसरा नम्बर 104 रकबा 02.18 बीघा में से,** रकबा **0.06** बीघा का वादीगण को व रकबा **02.12** बीघा का प्रतिवादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. **खसरा नम्बर 105 रकबा 06.14 बीघा में से,** रकबा **0.14** बीघा का वादीगण को व रकबा **03.09** बीघा का प्रतिवादी संख्या 01 को तथा रकबा **02.11** बीघा दक्षिणी भाग का प्रतिवादी संख्या 02 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. **खसरा नम्बर 111 रकबा 11.12 बीघा में से,** रकबा **01.04** बीघा का वादीगण को व रकबा **03.12** बीघा का प्रतिवादी संख्या 01 को व रकबा **06.16** बीघा दक्षिणी भाग का प्रतिवादी संख्या 02 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. **खसरा नम्बर 112 रकबा 0.07 बीघा में से,** रकबा **0.01** बीघा का वादीगण को व रकबा **0.06** बीघा का प्रतिवादी संख्या 02 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

5. उपर्युक्त खसरान् की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में रामेश्वर व श्रवण पिसरान् भोमा का नाम उक्त रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।

पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वे एक–दूसरे की खातेदारी व कब्जाकाश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न तो स्वयं करे व न ही किसी अन्य से करावें।

नीज..........–.......... मुबलिंग...........–............... बाबत.......... ....–....................खर्चा इस मुकददमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **30.06.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट फोलोअप कैम्प–डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट फोलोअप कैम्प–डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः—201/2018/रीडर/2018/ 691 दिनाँक 19.7.18

प्रेषितिः—

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः —निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 88, 53, 188 R.T.Act.

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. छोटीदेवी पत्नी भोमाराम, उम्र—82साल, 2. रामरतन पुत्र रामेश्वरलाल, उम्र—19साल, समस्त,जाति—मेघवाल, निवासी—कटारियाबास, डीडवाना, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1.धन्नाराम पुत्र कानाराम, जाति—मेघवंशी, निवासी—निनावटा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 2.गोरधन पुत्र शिवराम, समस्त,जाति—परबतसर, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 3.तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट फोलोअप कैम्प—डीडवाना

Scanned by CamScanner